# विहंगावलोकन

## 1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

*सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के सीएजी के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2010 तक, बिहार राज्य में 25 कार्यशील (21 कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगमों) एवं 40 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रम (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.22 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों ने 2009–10 में ₹ 2508.83 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.62 प्रतिशत था जो राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वहीन स्थान दर्शाता है। 30 सितम्बर 2010 तक अंतिमिकृत लेखों के अनुसार सा. क्षे. उपक्रमों की संचित हानि ₹ 4617.88 करोड़ थी।*

### *सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश*

*31 मार्च 2010 को, 65 सा. क्षे. उपक्रमों में ₹ 9622.02 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। 2009–10 में कुल निवेश का 80.86 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2009–10 में, सरकार ने ₹ 1670.15 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए दिये।*

### *सा. क्षे. उपक्रमों का निष्पादन*

*अद्यतन अंतिमिकृत किए गए लेखों के अनुसार, 25 कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में से आठ सा. क्षे. उपक्रमों ने ₹ 12.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 14 सा. क्षे. उपक्रमों को ₹ 1187.37 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 1.36 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड (₹1.09 करोड़) मुख्य थे। अधिक हानि वहन करने वालों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹1102.28 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹55.74 करोड़) थे। लेखापरीक्षा ने सा. क्षे. उपक्रमों के कार्यपालन में विभिन्न कमियाँ पायीं। भारत के सीएजी के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों ने ₹ 164.49 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 64.21 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा, जो बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रणीय था। इस प्रकार, यहाँ कार्यशैली को सुधारने एवं लाभ बढ़ाने का अच्छा अवसर है। सा. क्षे. उपक्रम अपने दायित्व दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलंबी हों। यहाँ सा. क्षे. उपक्रमों के कार्यकलाप में और अधिक व्यावसायिकता तथा जवाबदेही की आवश्यकता है।*

### *लेखों की गुणवत्ता*

*सा. क्षे. उपक्रमों के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2009–10 में सभी 15 कम्पनियों के लेखों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 11 लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन से सम्बन्धित 13 उदाहरण पाये गए।*

### *बकाया लेखे एवं समापन*

*30 सितम्बर 2010 तक 25 कार्यकारी सा. क्षे. उपक्रमों के 213 लेखे बकाया थे। बकाया लेखों की अवधि एक से 21 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों थे जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।*

*(अध्याय – I)*

## 2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

**बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड** के कार्य सम्पादन से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् हैं :

### बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

*प्रस्तावना*

*बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी कम्पनी के रूप में जून 1975 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के पुलों एवं पथों का निर्माण एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पुलों से टॉल का संग्रहण करना है।*

*चूँकि कम्पनी का कार्य सामाजिक ढाँचागत संरचनाओं के सृजन से है ; अतः कम्पनी के कार्यों का निष्पादन समीक्षा आवश्यक समझा गया। यह समीक्षा कम्पनी द्वारा वर्ष 2005–10 के दौरान निष्पादित किये गये कार्यों पर आधारित है।*

*नियोजन*

*कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लागत का प्राक्कलन लम्प–सम (एकमुश्त आधार पर) विस्तृत स्थल निरीक्षण किये बिना किया गया, जिसके कारण आठ परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ तथा ₹ 134.30 करोड़ की निधि तीन से 17 महीनों तक बाधित रहा। पहुँच पथ का निर्माण अपूर्ण रहने के कारण 45 पुलों का उपयोग 27 महीनों तक विलम्बित हो गया। पुल के निर्माण कार्य का प्राक्कलन अधूरा था, क्योंकि इसमें आवश्यक मदों को शामिल नहीं किया गया था जिसके कारण सरकार द्वारा आवंटन में कमी, निधि का अवरूद्धन परिणत हुआ एवं साथ हीं कम्पनी ₹ 0.49 करोड़ की शतता (सेन्टेज) शुल्क अर्जित नहीं कर सकी।*

*कार्यान्वयन*

*वर्ष 2005–10 की अवधि में सरकार द्वारा कम्पनी को ₹ 5,574.73 करोड़ प्राक्कलित राशि पर कुल 742 पुलों का कार्य आवंटित किया गया जिसमें से कम्पनी ने ₹ 1415.20 करोड़ की लागत पर 538 पुलों का निर्माण किया जिसमें पुल विकास निधि (पु.वि.नि.) से किया गया व्यय ₹ 11.74 करोड़ भी शामिल था। कम्पनी द्वारा वर्ष 2008–10 के दौरान अधिकाधिक संख्या में ली गई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया। परन्तु, फिर भी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब का मामला पाया गया, जिसका मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, संवेदकों द्वारा परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, परियोजनाओं का निरस्तीकरण इत्यादि शामिल था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र एवं लोक कार्य विभाग संहिता का उल्लंघन कर कम्पनी द्वारा न्यूनतम निविदादाता को दर वार्ता के लिये आमंत्रित किया गया।*

*योजनाओं का कार्यान्वयन*

*मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (मु.मं.से.नि.यो.)*

*वर्ष 2007–10 के दौरान मु.मं.से.नि.यो. के अन्तर्गत आवंटित कुल 522 पुलों के विरूद्ध कम्पनी द्वारा 404 पुलों का निर्माण किया गया। इनमें से पूर्ण किये गये 60 पुलों के निर्माण में एक से 26 महीनें का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, अपूर्ण पुलों का निर्माण दो से 22 महीनों तक विलम्बित था जिसका मुख्य कारण, कार्य प्रारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा निष्पादन में विलम्ब तथा स्थल मुक्तान्तर में विलम्ब होना था। दरभंगा प्रमण्डल में बिना एकरारनामा किये कार्य–निष्पादन करने के कारण ₹ 12.13 करोड़ की हानि हुई। कप्तान पुल, पूर्णियाँ, के सम्बन्ध में निविदा निष्पादन में विलम्ब ₹ दो करोड़ लागत की वृद्धि का कारण बना।*

*रेलवे उपरी पुल का निर्माण (आर. ओ. बी.)।*

*कुल आठ आर. ओ. बी. में से ₹ 80.15 करोड़ के वास्तविक प्राक्कलित लागत के विरूद्ध ₹ 86.60 करोड़ की लागत पर सिर्फ तीन आर. ओ. बी. पूर्ण किए जा सके। शेष आर. ओ. बी. जुलाई 2010 तक पूर्ण नहीं किये गये थे। इनकी पूर्णता तिथि भिन्न–भिन्न थी।*

*टर्न–की संविदाओं का निष्पादन।*

*तीन टर्न–की संविदाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि वास्तविक जी.ए.डी., परिमाण विपत्र एवं प्राक्कलन की तुलना*

संवेदक द्वारा सौंपे गए प्रारूप से नहीं किया गया था एवं परियोजना की वास्तविक लागत का विश्लेषण संवेदकों को भुगतान करने से पहले नहीं किया गया था। हमने प्रेक्षण में पाया कि आर. ओ.बी., पूर्णियाँ में संवेदक को ₹ 43.84 लाख का अधिक भुगतान, आर.ओ.बी., सुल्तानगंज में संवेदक से ₹ 0.80 करोड़ की अल्प वसूली, दरभंगा के रसियारि घाट, समस्तीपुर के लरझा घाट के सम्बन्ध में लागत में बिना किसी अतिरिक्त कटौती के कम मात्रा वाले प्रारूप को स्वीकार करने के कारण ₹ 13.21 करोड़ की हानि हुई।

### योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत पुलों का निर्माण

वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी को योजना/गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत 212 पुलों के निर्माण हेतु कुल ₹ 3103.56 करोड़ प्राप्त हुआ जिसमें से ₹ 886.71 करोड़ की लागत पर कम्पनी ने कुल 161 पुलों का निर्माण किया। शेष 51 पुलों का निर्माण प्रगति में था (सितम्बर 2010)। हमने प्रेक्षण में पाया कि तीन प्रमण्डलों–भागलपुर, कटिहार, दरभंगा में शुरू किये गये कुल 41 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ तीन से 19 वर्षों की विलम्बता से पूर्ण किया गया था। शेष 17 चालू परियोजनाओं में से सात परियोजनाएँ पहले हीं आठ से 23 महीनो की परास अवधि से विलम्बित था।

### सीलिंग दर से उपर कार्यों के आवंटन के कारण अधिक व्यय

111, 43 और 80 कार्य नामांकन आधार पर सिलिंग दर/सीमा दर से क्रमशः 10, 12 और 15 प्रतिशत उपर आवंटित किया गया जिसके कारण ₹ 1.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

### पथों का निर्माण

वर्ष 2007–08 से कम्पनी द्वारा पथों का निर्माण भी शुरू किया गया जब–जब यह पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवंटित किया गया। कुल 72 पथों में से सितम्बर 2010 तक सिर्फ 44 पथ (61 प्रतिशत) पूर्ण किया गया था। पथों के निर्माण में विभिन्न कारणों से, जैसे कार्यारम्भ में विलम्ब, संवेदकों द्वारा धीमा कार्य निष्पादन, कार्यों का निरस्तीकरण तथा पुनः आवंटन के कारण 21 महीनों तक का विलम्ब था।

### अनुश्रवण

प्रमण्डल स्तर पर कोई गुण नियंत्रण कोषांग नहीं था और कम्पनी मुख्यालय भी आवश्यक मशीनों से पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं था। एस.बी.डी. के उपवाक्य के उल्लंघन करने से ₹ 15.18 करोड़ अतिरिक्त व्यय की वसूली हेतु चूककर्ता अभिकरणों के विरूद्ध कोई कारवाई नहीं किया गया था (सितम्बर 2010)। सामग्रियों के गुण एवं विशिष्टता को सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि इसे सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज (फार्म एम. एवं एन.) किसी भी परियोजना के विपत्र के साथ संलग्नित नहीं पाया गया था। मोर्थ ( **MORTH** ) विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 2.79 करोड़ मूल्य का 4674.46 घनमीटर का बी.एम. कार्य निम्न कोटि का हो गया क्योंकि वहाँ दो परतों के चढ़ाने के बीच छः से नौ महीने का अन्तराल पाया गया था, जो कि 48 घंटों में हो जाना चाहिए था। 4955.40घनमीटर स्टोन चिप्स जो कि अस्वीकृत खान से लाया गया था, की ढुलाई पर ₹ 22.54 लाख का अनाधिकृत भुगतान प्रेक्षित किया गया था।

### वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

कम्पनी अपनी लेखों को अद्यतन नहीं किया था और यह वर्ष 2002–03 से ही बकाया था। कम्पनी की वार्षिक वित्तीय लेखें वर्ष 2006–07 से ही निदेशक मण्डल से अनुमोदित होना बाकी था। अव्यवहृत निर्माण कार्यो की राशि जो की आवधिक जमाओं में रखा गया था, पर अर्जित ब्याज वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी की कुल आय का 14.68 प्रतिशत से 51.48 प्रतिशत था।

### वित्तपोषण

वर्ष 2005–10 के दौरान उपलब्ध निधियों की कुल उपयोगिता लगभग 80 प्रतिशत रही, जिसमें वर्ष 2007–08 से सामान्य वृद्धि पाया गया, जो कि मु.मं.से.नि.यो. के परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप था। अतिरिक्त व्यय हेतु सरकार से पूर्व स्वीकृति नहीं लेने के कारण कम्पनी के ₹ 84.98 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ।

### निर्मित पुलों का हस्तांतरण

चार प्रमण्डलों से सम्बन्धित 141 पुल जो वर्ष 2005–10 के दौरान पूर्ण किये गये थे, को सरकार को 48 महीनों के विलम्ब

*के बाद भी अब तक समर्पित नहीं किया गया था।*

### *आन्तरिक नियंत्रण*

*कम्पनी का आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं था। कम्पनी के पास आन्तरिक अंकेक्षण कोषांग नहीं था। सनदी लेखाकारों की फर्में आन्तरिक अंकेक्षण, बैंक खातों के समाधान इत्यादि के लिए नियुक्त किये गये थे। आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तकनीकी अंकेक्षण एवं व्यय के औचित्य का आच्छादन नहीं करता था।*

*(अध्याय – II)*

## 3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा

**बिहार के ऊर्जा शक्ति उत्पादन संस्थाओं** से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् हैं :

*जीवन के हर पहलू के लिए ऊर्जा शक्ति अति आवश्यक है एवं इसे मूलभूत आवश्यकताओं की तरह माना गया है। बिहार में इसका उत्पादन बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि0 (कम्पनी) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2010 तक को बोर्ड के पास एक वाष्प शक्ति उत्पादन स्टेशन जोकि बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (ब.वा.श.प्र.) है एवं कम्पनी के पास 11 नहर आधारित जल विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान जोकि 372.80 मेगावाट (मे.वा.) प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ है। 2009–10 में बोर्ड का वार्षिक विक्रय ₹ 2795 करोड़ एवं कम्पनी का ₹ 6.78 करोड़ था, जोकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कमशः 1.80 प्रतिशत एवं 0.005 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2010 तक ब.वा.श.प्र. में 586 कर्मचारी एवं कम्पनी में 107 कर्मचारी कार्यरत थे।*

### *क्षमता वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधन*

*31 मार्च 2010 तक राज्य क्षेत्र में कुल प्रतिष्ठापित शक्ति उत्पादन क्षमता 372.80 मेगा वॉट (मे.वा.) थी। 2005–10 में राज्य में शक्ति उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 2500 मे.वा. के अधिकतम माँग के विरूद्ध 1508 मे.वा. की पूर्ति ही हो पायी जिसमें 992 मे.वा. का घाटा संलग्न नही है जबकि वास्तविक वृद्धि 8.7 मे.वा. (कम्पनी द्वारा) की थी। यहाँ वाष्पशक्ति क्षमता मे कोई वृद्धि नही हुई थी। अतः वर्ष 2005–10 के दौरान ऊर्जा शक्ति उत्पादन के साथ–साथ ऊर्जा शक्ति के क्रय में 2909.58 मिलियन यूनिट्स (मि.यू.) से 12297.11 मि.यू. तक की कमी के कारण राज्य ऊर्जा शक्ति की माँग की पूर्ति करने हेतु सक्षम नहीं था।*

### *संविदा प्रबंधन*

*वर्ष 2005–10 के दौरान कम्पनी की 21 संविदाओं जिसका मूल्य ₹ 36.38 करोड़ था, का निष्पादन किया गया। लेखापरीक्षा समीक्षा के दौरान निविदा के निपटान एवं कार्य प्रदान करने में विलम्ब प्रेक्षित किया गया जिससे तीन परियोजनाओ के लागत में ₹ 7.06 करोड़ की वृद्धि हुई।*

### *परिचालन निष्पादन*

*वर्तमान उत्पादन प्रतिष्ठान का निष्पादन सामग्रियों की दक्षतापूर्वक प्रयोग, मानवशक्ति एवं संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे संयंत्र का प्रचालन बिना प्रभावित हुए अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन लम्बे समय तक हो। परिचालन निष्पादन पर हमारी संवीक्षा निम्न है:–*

### *ईंधन की प्राप्ति*

*2008–09 तक चार वर्षों के दौरान मानक लिंकेज समिति द्वारा अनुमोदित कुल लिंकेज की तुलना में कोयले की कम प्राप्ति (71.41 प्रतिशत) के कारण उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति में कमी पाया गया। कोयला कम्पनियों से अनुबंध के अभाव में 0.43 लाख मिलियन टन (मि.ट.) घटिया/कोटिविहीन कोयला की प्राप्ति हेतु बोर्ड ने ₹ 6.29 करोड़ का भुगतान किया जोकि बोर्ड का हानि था।*

### *ईंधन का उपभोग*

*कोयले में कम ग्रॉस कैलोरिफिक गुण के साथ ही साथ प्रतिष्ठान की ताप दर जो डिजाइन ताप दर से अधिक थी के कारण 2005–10 की अवधि में कोयले की अधिक खपत के कारण बोर्ड ने ₹ 48.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।*

### मानवशक्ति की प्रतिनियुक्ति

ब.वा.श.प्र. में 31 मार्च 2010 तक बोर्ड के पास 586 कर्मचारी थे जो कि स्वीकृत क्षमता के अंदर थे परन्तु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के मानक से ज्यादा थे। वही दूसरी ओर कम्पनी के पास 31 मार्च 2010 तक 107 कर्मचारी थे। मानवशक्तियों की प्रतिनियुक्ति विवेकपूर्ण नही थी क्योंकि कम्पनी में सी.इ.ए. के निर्धारित मानक से अधिक नियुक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

### प्लांट लोड फैक्टर

कम्पनी के जल विद्युत संयंत्र एवं ब.वा.श.प्र. का संयंत्र भार कारक (प्लांट लोड फैक्टर) वर्ष 2005–10 की अवधि के दौरान सभी वर्षो में राष्ट्रीय प्लांट लोड फैक्टर से कम था। इसके परिणामस्वरूप 3952.9 मि.यू. की उत्पादन हानि हुई। इसके अलावा कम्पनी को ₹ 39.59 करोड़ की अंशदान क्षति हुई।

### निष्क्रियता

सभी पाँच वर्षो (2005–10) में सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत मानकों से निष्क्रियता अधिक रहा और यह 12.90 से 81.19 प्रतिशत के बीच था। ब.वा.श.प्र. की इकाई सं0 6 की निष्क्रियता वर्ष 2005–10 के दौरान कुल उपलब्ध घंटो का 73 प्रतिशत था। 2006–07 की अवधि में, 13977 घंटो के योजनाकारी निष्क्रियता के विरूद्ध 11817 घंटा परिहार्य था जिसके कारण 3 .49 मि. यू. की उत्पादन हानि हुई।

### सहायक खपत

समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी एवं ब.वा.श.प्र. की वास्तविक सहायक खपत सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पायी गई जिसके परिणामस्वरूप 48.97 मि.यू. उत्पादन की हानि हुई।

### वित्तीय प्रबंधन

ऋण पर ली गई निधियों पर कम्पनी की निर्भरता वर्ष 2005–06 में ₹ 290.26 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 499.60 करोड़ हो गया। इसी प्रकार बोर्ड का ऋण वर्ष 2005–06 में ₹ 7773.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009–10 में ₹ 12605.44 करोड़ (62.16 प्रतिशत) हो गया। संचित हानि में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2009–10 के अंत तक कम्पनी के लगभग दो तिहाई प्रदत्त पूँजी का क्षय हो गया।

### पर्यावरणीय मुद्दें

बोर्ड ने 7.08 लाख मि.ट. कोयला जिसमें राख अधिक मात्रा में होता है (भारित औसत 41.27 से 46.24 प्रतिशत के मध्य) के उपयोग से पहले सफाई हेतु कोई कारगर कदम नही उठाए। ब.वा.श.प्र. द्वारा न तो पर्याप्त मूक संयंत्र स्थापित किया गया और न ही ध्वनि स्तर को अंकित करने हेतु ध्वनि अनुश्रवण संयंत्र स्थापित किया गया।

### निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

कम्पनी अपने नये स्थापित जल विद्युत उत्पादन इकाईयों के अपने योजनानुसार व्यवसायिक उत्पादन हेतु प्रारंभ नहीं कर पाने के कारण राज्य में शक्ति की बढ़ती माँगो को पूरा नहीं कर सकी। बोर्ड भी आ. वि./पु. एवं आ. (ब.वा.श.प्र.) कार्य को पूरा नहीं कर पाने के कारण राज्य में शक्ति की बढ़ती हुई माँग को पूरा नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप वा.श.प्र. के स्वास्थ्य में आगे भी अवनति हुई। परियोजना प्रबंधन अप्रभावी था चूँकि वर्ष 2005–10 में शुरू की गई परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि के अनेक उदाहरण थे। कोयले की अल्प प्राप्ति एवं साथ ही साथ घटिया किस्म के कोयले की प्राप्ति, उच्च ताप दर जिसके फलस्वरूप कोयले की अधिक खपत हुई, के कारण संयंत्र के परिचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। साथ हीं, प्लांट लोड फैक्टर और संयंत्र की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत स्तर से कम बनी रही। संयंत्रों के व्यवसायिक परिचालन में विलम्ब के फलस्वरूप अत्यधिक पूँजीगत व्यय एवं ऋणों पर पर्याप्त वापसी के अभाव में ब्याज प्रतिदेयता के कारण परिचालन लागत में काफी वृद्धि हुई। आगत दक्षता प्राचलिक के सन्दर्भ में उच्च स्तरीय प्रबंधन ने मानकों/लक्ष्यों के अनुपालन हेतु कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए थे। समीक्षा में सात अनुशंसाएँ है जिसमें प्रभावशाली नियोजन और प्रबोधन, निर्धारित मानकों के अनुसार कोयले के उपभोग को सुनिश्चित करना, बाध्यकारी निष्क्रियता एवं सहायक उपभोग को कम करना और पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना इत्यादि सम्मिलित है।

*(अध्याय – III)*

## 4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबंधन की कमियाँ जिनके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की है :-

*नियमों, दिशानिर्देशों, पद्धतियों, संविदाओं के निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने के कारण पाँच मामलों में ₹ 184.52 करोड़ की हानि।*

***(कंडिका 4.1, 4.4, 4.5, 4.7 एवं 4.8)***

*अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण प्रबोधन प्रणाली के कारण ₹ 0.24 करोड़ की हानि।*

***(कंडिका 4.2 (ख))***

*संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने के कारण दो मामलों में ₹ 3.67 करोड की हानि।*

***(कंडिका 4.3 एवं 4.6)***

*दोषयुक्त/त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण दो मामलों में ₹ 3.45 करोड़ का निष्फल व्यय।*

***(कंडिका 4.9 एवं 4.10)***

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है :–

**बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड** के द्वारा अपने साधारण सभा की पूर्व अनुमति के बिना ₹ चार करोड़ के दान का निर्णय, न केवल अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंधन में परिणत हुआ बल्कि वित्तीय दूरदर्शिता की व्यवस्था के भी प्रतिकूल था।

***(कंडिका 4.1)***

अनुबंध के उपबंध को लागू करने में **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड** की विफलता के कारण ₹ 0.32 करोड़ के सुविधा प्रबंधन सेवा शुल्क की वसूली न होना।

***(कंडिका 4.3)***

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उच्च विभव सेवा–1 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण नहीं करने के कारण **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड)** को ₹ 0.82 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

***(कंडिका 4.4)***

टैरिफ प्रावधानों के अनुसार विपत्रीकरण न करने के कारण **बोर्ड** को ₹ 0.52 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

***(कंडिका 4.5)***

भूमिगत केबल के अनावश्यक क्रय के कारण ₹ 3.35 करोड़ की निधि अवरूद्ध हो गई एवं **बोर्ड** को ₹ 1.41 करोड़ के ब्याज की आनुषंगिक क्षति हुई।

***(कंडिका 4.6)***

टैरिफ प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण **बोर्ड** को ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

***(कंडिका 4.8)***